न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 25/2015

अपीलांट

1. हरीराम पुत्र मोबताराम
2. जयकरण पुत्र मोबताराम
3. हीराराम पुत्र धुड़ाराम
4. सोनाराम पुत्र भारमलराम
5. भवंराराम पुत्र भारमलराम
6. सुवटी बेवा भारमलराम
7. किशन पुत्र भभूताराम
8. हड्डूमान पुत्र भभूताराम
9. मोहन पुत्र भभूताराम
10. जगदीश पुत्र भभूताराम
11. गवरी बेवा भूभूताराम
12. सोहनलाल पुत्र सांवताराम
13. पुनी बेवा सांवताराम
14. सुखराम पुत्र गंगाराम
15. हरीराम पुत्र गंगाराम
16. बाबू पुत्र गंगाराम
17. भजनलाल पुत्र नरसिंगाराम
18. रामेश्वरी पत्नी नरसिंगाराम
19. चनणी पत्नी भगवानाराम
20. मीरा पुत्री ठाकराराम
21. तेजाराम पुत्र ठाकराराम
22. किशनाराम पुत्र ठाकराराम
23. वीराराम पुत्र ठाकराराम
24. बाबू पुत्र वीरमाराम
25. नवलाराम पुत्र खींयाराम
26. छोटा पुत्र खींयाराम
27. सोनाराम पुत्र खींयाराम
    जाति विश्नोई निवासी गोड़ा
    तहसील सेड़वा

रेस्पोडेंटस

बनाम तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 976 दिनांक 19.5.2009 जो तहसीलदार सेड़वा द्वारा पारित किया गया।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

उपस्थित– 1. अपीलांटस की ओर से श्री ओमप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता।
2. रेस्पोंडेंट सं. 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांक 7.6.2017**

1. संक्षेप में अपीलांटस की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा गोड़ा तहसील सेड़वा में अपीलांटस के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 315 रकबा 73.16 बीघा व खसरा नंबर 319 रकबा 99.03 बीघा कुल रकबा 172. 19 बीघा आई हुई है। जिसमें से अपीलांटस द्वारा खसरा नंबर 315 में से रास्ता निकलाने हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण की गई थी परन्तु सर्मपण पत्र तैयार करवाते समय सेढ़ा पड़ौसियो ने हल्का पटवारी के साथ मिलीभगत कर खसरा नंबर 315 के साथ–साथ खसरा नंबर 319 भी दर्ज करवा दिया, जबकि अपीलांटस ने मात्र खसरा नंबर 315 में की ही भूमि सर्मपित की थी। इसप्रकार हल्का पटवारी एवं सेढा पडौसियो द्वारा अपीलांटस को अंधरे में रखते हुए गलत रूप से खसरा नंबर 315 के साथ खसरा नंबर 319 की भूमि समर्पित करवा कर समर्पणसुदा भूमि अलग कर नये खसरा नंबर 645/315 रकबा 02.06 बीघा व खसरा नंबर 646/319 रकबा 01.10 बीघा कायम करते हुए तहसीलदार चौहटन द्वारा नाामान्तरकरण 976 पारित करवा लिया। इस आदेश से व्यथीत होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।
2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंट को सम्मन जारी किये। रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।
3. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि मौजा गोड़ा तहसील सेड़वा के खसरा नंबर 315 में से रास्ता निकलाने हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण की गई थी, परन्तु हल्का पटवारी द्वारा सेड़ा पडौसियो के साथ मिलीभगत कर खसरा नंबर 319 की भूमि भी समर्पण पत्र में दर्ज करवा ली। रेस्पोडेंट के अधीनस्थ कार्मिको द्वारा मौके पर खसरा नंबर 319 व 317 में रास्ते की गलत रूप से तरमीम कर दी, जबकि अपीलांटस ने खसरा

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

नंबर 319 व 317 में से किसी प्रकार की भूमि समर्पित ही नहीं की थी। हल्का पटवारी द्वारा अपीलांटस की बिना सहमति से ही खसरा नंबर 646/319 धोखे में रखकर समर्पण कर रास्ता कटवाया तथा अब मौके पर रास्ता खसरा नंबर 319 के स्थान खसरा नंबर 317 में खोला जा रहा है। अतः अपीलांटस की बिना सहमति व गलत समर्पण के आधार पर तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 946 विधि विरूद्व होने से अपास्त किया जाऐं।

4. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार चौहटन द्वारा मौजा गौड़ा के नामान्तरकरण संख्या 946 पर पारित आदेश दिनांक 19.5.2009 के विरूद्व धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की है। तहसीलदार चौहटन द्वारा पक्षकारान द्वारा समर्पित की गई भूमि के संबंध में बिना जांच करवाये नामान्तरकण संख्या 976 दिनांक 19.5.2009 पारित किया गया है, जिसके कारण पक्षकारान के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.5.2009 अपास्त किये जाने योग्य है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील को स्वीकार करते हुए नामान्तरकरण संख्या 976 दिनांक 19.5.2009 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सेड़वा को प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि खसरा नंबर 315, 317, 319 मौजा गौड़ा में किए गए समर्पण व वक्त समर्पण दर्शाई गई रास्ते की मौका स्थिति की जांच कर सही तरमीम राजस्व रिकार्ड में की जाकर पालना से अवगत कराऐं।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 7.6.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)